

पत्रक न जारी  
अदालत की वस  
हुमन की जारी  
न जारी हुम

तारीख हुमन	हुमन या कार्यवाही मय लघुहस्तांतर जज
------------	-------------------------------------

03-07-24

उक्तान में तहसीलदार (सू. वा.) श्रीमाधोपुर के पत्रक क्रमांक / सू. वा. / 24 / 288 दिनांक 03-07-24 को प्राप्त हुआ है। जो सुनने माफीदारा है। सुनने में माफीदारा विभाजन उपलब्ध दिन 03-07-24 को आगम्य पत्रावली किया गया है। वस्तुतः 03-07-24 को पत्रावली दिनांक 03-07-24 को पेश है।

बोधक कलक्टर (फाइल टैक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

31.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट मय कुर्रजात रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.08.2024 को पेश हो।

बोधक कलक्टर (फाइल टैक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

23.08.2024

पत्रावली आज निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में अन्तिम डिक्री पर बहस वकील वादीगण एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बोधक कलक्टर (फाइल टैक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला  
नीमकाथाना राजस्थान  
पीठासीन अधिकारी - श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या  
152 / 2023

जीसीएमएस  
2023 / 266

दाखल दिनांक  
05.09.2023

निर्णय दिनांक  
23.08.2024 (अन्तिम डिक्री)


उनवान प्रकरण


1. रजनी सैनी पत्नि डॉ. कानाराम आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी मंगसवाली तन् ग्राम कशीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
2. सुंशात सैनी पुत्र मानाराम आयु 33 वर्ष जाति माली निवासी 8 मंगल विहार रामनगर सोडाला सांगानेर रोड के पास, जयपुर जिला जयपुर राज0

--वादीगण--

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र फूलचन्द
2. जमना देवी पत्नी फूलचन्द
3. भीनू पुत्री फूलचन्द
4. रीना पुत्री फूलचन्द
- समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला हाल नीमकाथाना
5. गुलाब पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
6. गुलाब पत्नी लालाराम जाति माली निवासी मोढू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर राज0
7. जमना लाल पुत्र साधूराम
8. मोहनलाल पुत्र साधूराम
- समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम मोढू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर राज0



  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

- 9 दुष्मन्त कुमार पुत्र भीतरमल कपूरिया जाति जाट निवारी ग्राम राजपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
- 10 पूरणमल पुत्र भीतरमल जाति जाट निवारी शाहपुरा जिला जयपुर राज0
- 11 नान्ही देवी पत्नी भगवानसहाय जाति माली निवारी मोटू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर राज0
- 12 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर
- 13 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर
- 14 शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
- 15 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित:-

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 15 की ओर सैं।


दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955




—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम मानगढ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना के कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 1.44 हैक्टर जिसमें 25/288 हिस्सा की खातेदारी वादिया नम्बर 1 व हिस्सा 25/288 हिस्सा वादी संख्या 2 काबिज खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी है। वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद कर खातेदारी प्राप्त की है। वादीगण के वैचान करने वाले पूर्व खातेदारों ने उक्त भूमि के दक्षिणी के हिस्से की भूमि मौके पर कब्जा सम्भलाया गया था तब से वादीगण अपनी

  
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खरीदशुदा भूमि उक्त के दक्षिणी तरफ के अपने हिस्से में रकबे 0.25 हैक्टर भूमि दक्षिणी पर पूर्णतया काबिज काशत है। नुकि उक्त भूमि शीको से काली जोहडी जाने वाली रोड के पश्चिमी तरफ स्थित है। इस कारण रास्ते की सुविधा पूर्व से उपलब्ध व मौजूद है। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमियों है। जिनका विधिक व कानूनी रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी की भूमियों का जमाने समय में खातेदारों के मध्य आये दिन झगडे फिसाद व वाद विवाद की स्थिति भी रहती है। इस कारण संयुक्त खातेदारी की भूमियों का बंटवारा विधिक रूप से कराया जाकर अलग-अलग बटा नम्बर डाले जाकर अलग-अलग खातेदारी दर्ज किया जाना परम आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि का समुचित रूप से विकास व उपयोग-उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण भी उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर विधिक विभाजन किया जाना न्यायोचित है। वादीगण के पूर्व में प्रतिवादीगण के बंटवारा कराने बाबत कहा तो वे हां करते रहे परन्तु अब दिनांक 04.08.2023 को बंटवारा कराने बाबत कहा तो उपस्थित प्रतिवादीगण ने आनाकानी को हुये मना कर दिया तथा उन्होंने यह भी धमकी दी कि हम भूमि को दीगर लोगों को अन्तरण आदि कर भूमि को खुर्द-बुर्द करके रहेगे व समझाने से उक्त प्रतिवादीगण मान नहीं रहे हैं। यही वाद कारण उत्पन्न होकर दावा पेश करना साजिम आया है। प्रतिवादीगण ने संयुक्त खातेदारी की भूमि को दीगर लोगों को अन्तरण आदि कर भूमि को खुर्द बुर्द कर देगे तथा दीगर भूमाफिया लोगों का कब्जा आदि करा देगे तो वादीगण अपने विधिक अधिकारों से वंचित होकर उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को इस बाबत जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मानगढ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना के कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 1.44 हैक्टर जिसमें 25/288 हिस्सा की खातेदारी वादिया नम्बर 1 व हिस्सा 25/288 दोनों का कुल रकबा 0.25 हैक्टर भूमि दक्षिणी तरफ की खातेदारी वादीगण के नाम अलग से बट्टा नम्बर डाले जाकर गौके पर वादीगण के कब्जे काशत अनुसार बंटवारा कराया जाकर




  
महाराज कलक्टर (फ़ास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बट्टा नम्बर हटाने जाकर नक्शे में तरमीम करायी जाकर वादीगण का लगान भी अलग कायम कराया जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज करायी जावे। उक्त भूमि में किसी प्रकार की मजहमत उपस्थित नहीं करे ना ही दीगर से करावे ना ही उक्त भूमियों के किसी हिस्से को दीगर व्यक्तियों को बेचान रहन अन्तरण आदि नहीं करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे। जिससे वादीगण के विधिक हक हकुकों पर कुलपणत होता हो। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों का बाहमी बट्टाबारा अनुसार अलग से बट्टा नम्बर हटाने जाकर नक्शे में तरमीम करायी जाकर लगान भी अलग कायम किया जाकर अलग-अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु बाद वास्ते बट्टाबारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विस्तृत प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्मक तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी सख्या-1 ता 15 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादीगण ने प्रकरण बट्टाबारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया एवं प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमती व्यक्त की। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

प्रकरण में दिनांक 28.12.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्राक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्राक 08/रीडर/2024 दिनांक 03.01.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्राक

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाबना)

288/भूअ/2024 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली सलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में समस्त पक्षकारान् प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

### -: कियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एवं रथाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार जरिये पत्रांक 288/भूअ./2024 दिनांक 09.02.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिरसा	खसरा न.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रु. में)

34  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाभाना)

355

1. कृष्ण कुमार पुत्र फूलचन्द

हिस्सा-1/48 जाति

अहीर(यादव) सा. देह

खातेदार

2. गुलाब पत्नि मूलचन्द हिस्सा

1/8 जाति माली सा.

कल्याणपुरा तहसील सांगानेर

खातेदार

423

1.44

बाराणी-3

2.85

3. गुलाब पत्नि लालाराम हिस्सा

1/8 जाति माली नि. मोढू

का बास तह. आमेर खातेदार

राहिन हिस्सा 1/8

(पूर्णखाता) स्टेट बैंक ऑफ

इंडिया शाखा अजीतगढ

4. जमना देवी पत्नि स्व.

फूलचन्द हिस्सा 1/48

जाति अहीर(यादव) सा. देह

खातेदार

5. जमनालाल पुत्र साधूराम

हिस्सा 1/12 जाति अहीर

सा. देह खातेदार

6. दुष्यन्त कुमार पुत्र छीतरमल

कपूरिया हिस्सा

31707/209096 जाति जाट

सा. राजपुरा तहसील

शाहपुरा जिला जयपुर हाल

नि. देह खातेदार राहिन

हिस्सा- 31707/209096



34  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

7

पूर्ण खाता पंजाब नेशनल  
बैंक शाखा अजीतगढ़

7. नन्दाणी पत्नि भगवानराहाय  
हिरसा 1/8 जाति माली  
निवासी मोटू का बास  
तहसील आमेर खातेदार  
राहिन हि. 1/8 (पूर्ण खाता)  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  
शाखा अजीतगढ़

8. पूरणमल पुत्र छीतरमल  
हिरसा 187247/3763728  
जाति जाट सा. देह खातेदार

9. मीनू पुत्री फूलचन्द हिरसा  
1/48 जाति अहीर सा. देह  
खातेदार

10. मोहनलाल पुत्र साधूराम  
हिरसा 1/12 जाति अहीर  
नि0 मोटू का बास तह0  
आमेर खातेदार राहिन  
1/12 (पूर्ण खाता) यूको  
बैंक शाखा अजीतगढ़


11. रंजना सैनी पत्नि डॉ.  
कानाराम सैनी हिरसा  
25/288 जाति माली वार्ड  
नम्बर 17 ढाणी मंगरा वाली  
ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा  
जिला जयपुर राजस्थान  
खातेदार



12. शीना पुत्री फूलचन्द हिरसा 1/48 जाति अहीर सा. देह खातेदार				
13. सुशान्त सैनी पुत्र मानाराम सैनी हिरसा 25/288 जाति माली निवासी 8 मंगल विहार रामनगर, सोडाला, सांगानेर रोड केपास, जयपुर खातेदार				
योग खाता	किता-1	1.44		2.85


मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :-


मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव				
काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रु. में)
वादी रंजना सैनी पत्नि डॉ. मानाराम सैनी हिस्सा 1/2 जाति माली वार्ड नम्बर 17 ढाणी मंगरा वाली ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुरा राजस्थान खातेदार	423/2	0.25	बारानी-3	0.50
2. सुशान्त सैनी पुत्र मानाराम सैनी हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी 8 मंगल विहार रामनगर, सोडाला, सांगानेर रोड केपास, जयपुर खातेदार				



24  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथना)

प्रतिवादी				
1. कृष्ण कुमार पुत्र फूलचन्द हिस्सा-3/119 जाति अहीर(यादव) सा. देह खातेदार				
2. गुलाब पत्नि गूलचन्द हिस्सा 18/119 जाति माली सा. कल्याणपुरा तहसील सांगानेर खातेदार	423/1	1.19	बाराही-3	2.35
3. गुलाब पत्नि लालाराम हिस्सा 18/119 जाति माली नि. मोठू का बारा तह. आगेर खातेदार राहिन हिस्सा 18/119 (पूर्णखाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अजीतगढ				
4. जमना देवी पत्नि स्व. फूलचन्द हिस्सा 3/119 जाति अहीर(यादव) सा. देह खातेदार				
5. जमनालाल पुत्र साधूराम हिस्सा 12/119 जाति अहीर सा. देह खातेदार				
6. दुष्यन्त कुमार पुत्र छीतरमल कपूरिया हिस्सा 78/425 जाति जाट सा.				



  
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 श्रीमहाधोपुर (नीमकायना)


राजपूर तहसील शाहपूर  
जिला जयपूर हाल नि  
देह खातेदार राहिन  
हिरसा 18/425 पूर्ण  
खाता पंजाब नेशनल बँक  
शाखा अजीतगढ

7. नन्दादी प्रतिन भगवानसहाय  
हिरसा 18/119 जाति  
माली निवासी मोतू का  
बास तहसील आमेर  
खातेदार राहिन हि.  
18/119 (पूर्ण खाता)  
स्टेट बँक ऑफ इंडिया  
शाखा अजीतगढ

8. पूरणमल पुत्र अहीतरमल  
हिरसा 179/2975 जाति  
जाट सा. देह खातेदार  
मीनू पुत्री फूलचन्द हिरसा  
3/119 जाति अहीर सा.  
देह खातेदार

10. मोहनलाल पुत्र साधूराम  
हिरसा 12/119 जाति  
अहीर नि० मोतू का बास  
तह० आमेर खातेदार  
राहिन 12/119 (पूर्ण  
खाता) यूको बँक शाखा  
अजीतगढ

11. सीना पुत्री फूलचन्द



हिस्सा 3/119 जाति अहीर सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता-1	1.19	2.35	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावे। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधापुर के जरिये पत्राक 288/भू.अ./24 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्राकली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(अनिल कुमार)  
सहायक कमिश्नर (फारट) (भू.अ.)  
श्रीमाधापुर (निर्मलकाशाना)

यह निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)  
सहायक कमिश्नर (फारट) (भू.अ.)  
श्रीमाधापुर (निर्मलकाशाना)